

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद  
जिला-बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रंमाक-145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

// मोलासिस विक्रय हेतु निविदा फार्म //

**वर्ष 2024-25**

ई-निविदा क्रं. 162767, दिनांक 15 / 01 / 2025



प्रबंध संचालक  
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर  
कारखाना मर्यादित-बालोद  
जिला-बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क- 1000 / -रु.

# नर्सों की सहायी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद ftyk&ckykn ¼N-x-½

ई-निविदा क्रं.162767

दिनांक 15/01/2025

(नोट: निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग को ई.एम.डी. जिसे भाग-एक में रखा जाएगा और दूसरे भाग में तकनीकी भाग जिसे भाग-दो में रखा जाएगा तथा तीसरे भाग में व्यावसायिक भाग जिसे भाग-तीन में ऑनलाईन भरा जावेगा। ई-टेंडर में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाइट में जा कर फार्म राशि 1311/- रू. (1000/- रू. + 311/- रू. चीप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय वेबसाइट (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म upload किया जाना है। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार -पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा फार्म दिनांक 16/12/2024 रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 15/01/2025 को प्रातः 10:00 बजे तक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) में ई-टेंडर में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाइट में जा कर फार्म राशि 1311/- रू. (1000/- रू. + 311/- रू. चीप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय वेबसाइट (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म upload करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् दिनांक 15/01/2025 प्रातः 11:00 बजे विक्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा।

1-अमानत/ई.एम.डी. राशि -(भाग-एक में रखें)

निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में कय हेतु प्रस्तावित की गई मोलासीस मात्रा की सम्पूर्ण राशि का 10% राशि ई.एम.डी. के रूप में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से "दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद के नाम पर बैंक आफ बड़ौदा बालोद के एकाउन्ट नम्बर 31360100006799 आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड BARB0BALODX में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय तक ई.एम.डी. राशि जमा नहीं होने तथा कम पाए जाने पर निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। ई.एम.डी. की राशि निविदाकार को उपरोक्त दिए गए बैंक एकाउन्ट नंबर पर ही जमा करना अनिवार्य होगा।

जमा अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण-

1. एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस.- .....  
क्रमांक-..... दिनांक-.....
2. एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. राशि - .....
3. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता - .....

## 2—तकनीकी भाग (भाग—दो में रखें)

प्रति,

प्रबंध संचालक ,  
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना  
मर्यादित बालोद जिला—बालोद (छ.ग.)

आपके कारखाना द्वारा ई—निविदा क्रमांक 162767 दिनांक 15/01/2025 व्यावसायिक भाग में (भाग—तीन) दर्शाए अनुसार मोलासीस की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं/मेरे फर्म द्वारा मोलासीस क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के साथ ही दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद, जिला—बालोद (छ.ग.) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूं।

### एक — व्यवसायी/फर्म का विवरण —

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता — .....
2. मालिक/संचालक का नाम .....
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
4. ई—मेल आईडी .....
5. जी.एस.टी. क्रं. ....
6. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित .....
7. छ.ग. शासन वाणिज्यकर (आबकारी) विभाग महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रं.—एफ 10—35/2019/वा.क. (आब.) पांच 56 के नियम —04 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित वैधता तिथि सहित .....
- .....वैधता तिथि .....
8. खाद्य विभाग से जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित .....
- वैधता तिथि .....
9. ई.एम.डी. जमा करने संबंधी प्रमाण स्वरूप UTR NO/जमा पावती की मूल प्रति .....
10. आयकर रिटर्न (गत 02) 2022—23  
2023—24

## भाग एक – व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण –

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता – .....
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर – .....
3. ई-मेल – .....
4. व्यवसाय एवं पता – .....
5. उद्योग/फर्म में प्रतिनिधि का पद – .....
6. अधिकार पत्र मूल प्रति में (अथोरिटी लेटर) – .....

मैं दंतेश्वरी मैया सहकारी शककर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) द्वारा जारी ई-निविदा क्रमांक **162767/दिनांक 15/01/2025** के लिए श्री/मेसर्स.....

..... पता.....

..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूं। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में भाग-दो में संलग्न कर रहा हूं। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैंने मोलासीस विक्रय से संबंधित नियम/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूंगा।

दिनांक .....

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नाम एवं पता.....

उद्योग/फर्म की सील

## भाग दो- ई-निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना-

निविदाकार को ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन पार्ट में अपलोड किया जाना है। प्रथम भाग में ई.एम.डी. की राशि (आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.) दूसरे भाग में ई-निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार उद्योग/फर्म से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज संचालक/मालिक का पैन कार्ड, उद्योग/उद्यमी का नाम, जी.एस.टी. नंबर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, टीन नं, लायसेन्स प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना तथा तीसरे भाग में निविदा मात्रा एवं दर संबंधी प्रपत्र अपलोड करना होगा। उक्त भाग ई-निविदा में (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) में upload किया जाना अनिवार्य होगा।

## तीन- निविदा की शर्तें -

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) से मोलासीस क्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. निविदाकार द्वारा मोलासीस क्रय करने हेतु छ.ग. शासन वाणिज्यकर (आबकारी) विभाग महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र.-एफ 10-35/2019/वा. क. (आब.) पांच 56 के नियम-04 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित वैधता तिथि सहित छायाप्रति निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
2. जी.एस.टी. एवं पेन नम्बर की छायाप्रति जिसमें निविदाकार का हस्ताक्षर एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. मोलासीस क्रय करने के लिए भाव पत्र न्यूनतम **1000 मिट्रिक टन** मात्रा की होगी जो कम या ज्यादा हो सकता है। निविदा में 100 मे टन से कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. निविदा में उचित दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा कमेटी द्वारा निविदाकार के साथ निगोसिएशन किया जा सकता है, जो कि अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तों/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा, यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा में मात्रा एवं दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। कांट-छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. निविदाकार द्वारा ई-निविदा में जमा ई.एम.डी. की राशि के आधार पर ही मोलासीस की मात्रा निर्धारित किया जावेगा।
8. निविदाकार द्वारा गत दो वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का आयकर रिटर्न जमा (अपलोड) करना अनिवार्य है।
9. ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है, उन फर्मों का प्राइज बीड 03 (तीन) नहीं खोला जायेगा एवं उनके निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
10. दर स्वीकृत होने पर निविदाकार को क्रय हेतु प्रस्तावित मोलासीस की संपूर्ण राशि विक्रय आदेश से 15 दिवस एवं आदेशित मोलासीस मात्रा का उठाव 45 दिवस तक किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार क्रय की गई मोलासीस की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से "दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद,

जिला-बालोद (छ.ग.)" के नाम पर बैंक आफ बड़ौदा बालोद के एकाउन्ट नम्बर 31360100006799 आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड [BARBOBALODX](#) में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. की राशि जमा नहीं होने पर निविदा निरस्त की जाएगी।

11. मोलासीस क्रय की राशि जमा एवं उठाव हेतु समय की गणना जारी आदेश से शासकीय एवं साप्ताहिक अवकाश के दिनों को मिलाकर की जायेगी।
12. निविदा प्रपत्र के साथ **10% ई.एम.डी. राशि** जमा किया जाना अनिवार्य है तथा मोलासीस का विक्रय निविदा में जमा ई.एम.डी. राशि के आधार पर निविदा में प्राप्त उच्चतम दर को प्राथमिकता के आधार पर जमा ई.एम.डी. के अनुसार ही सौदा दर्ज किया जायेगा।
13. निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, मुस्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अधिकार पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापित अधिकार पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, अगर कंपनी/समिति, द्वारा अधिकार पत्र जारी किया जाता है, तो अधिकार पत्र पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षरमय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
14. निविदाकार को शासन के नियमानुसार प्रचलित दर पर सभी जी.एस.टी./कर/शुल्क/टी.सी.एस. इत्यादि का भुगतान पृथक से करना अनिवार्य होगा। मोलासीस की उठाव शक्कर कारखाना/मोलासिस टैंक से **'जो है जैसा है' की स्थिति में दी जायेगी।**
15. निविदा फार्म सबमिट करने के पहले निविदाकार/फर्म के द्वारा, स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा मॉल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् विक्रय किया हुआ मोलासीस कारखाने से बाहर ले जाने के बाद वापस नहीं लिया जावेगा तथा कारखाने से बाहर जाने के पश्चात् माल संबंधी किसी भी विवाद के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं रहेगा।
16. मोलासीस का उठाव शासकीय एवं साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में और कार्यालयीन समय पर ही किया जा सकेगा।
17. मोलासीस की डिलीवरी, लोडिंग को धरम कांटे में प्राप्त कुल वजन के आधार पर किया जायेगा तथा डिलीवरी हेतु वाहनो का प्रवेश प्रातः 10:30 से दोपहर 3:30 बजे एवं निर्गमन शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा।
18. निविदा के नियमों व शर्तों एवं दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की शिथिलता करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन एवं विक्रय कमेटी का होगा, जिसका निविदाकार को पालन करना अनिवार्य होगा।
19. मोलासीस डिलवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाड़ी लोड करावें। विक्रय किया हुआ मोलासीस कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. छ.ग. शासन के परिवहन के निर्देशानुसार मोलासीस की डिलवरी वाहन की पासिंग क्षमता (ओवरलोड नहीं दिया जावेगा) के अनुरूप पेपर देखने के पश्चात् डिलवरी प्रदान की जावेगी।
21. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, मूल्य निर्धारण, कर/टैक्स/शेष का भुगतान शासन के नियमानुसार देय होगा, यदि शासन द्वारा भविष्य में न्यूनतम मोलासिस विक्रय मूल्य अथवा टैक्स में वृद्धि की जाती है तो दर एवं टैक्स की भावांतर राशि क्रेता द्वारा देय होगा।

22. मोलासीस की डिलवरी हेतु प्रत्येक गाड़ी की बिल्टी गाड़ी के साथ लाना अनिवार्य होगा। बिल्टी प्रस्तुत करने के पश्चात् ही गाड़ी लोडिंग करने हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी।
23. विक्रय की गई संपूर्ण मोलासीस की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय में नहीं होने पर ई.एम.डी. राशि राजसात एवं आदेश निरस्त के संबंध में प्रबंधन/टेंडर कमेटी का निर्णय मान्य होगा।
24. क्रय की गई संपूर्ण मोलासीस की उठाव नियमित रूप से प्रतिदिन करनी होगी, उठाव समय में नहीं होने पर किसी प्रकार की आर्थिक व्यय एवं क्षति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी एवं ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जायेगी।
25. निविदा में क्रय की गई संपूर्ण मोलासीस का उठाव नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं किए जाने एवं उठाव संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में बीच में ही उसी निविदा दर पर अन्य फर्म को विक्रय आदेश जारी किया जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी पूर्व में क्रय करने वाले क्रेता की होगी।
26. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगी।
27. किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार जिला बालोद सहकारी क्षेत्र का सक्षम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत रहेगा।
28. मोलासीस विक्रय की मात्रा कम या अधिक करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन की होगी।
29. ई.एम.डी. की राशि का मोलासीस विक्रय के बिल में समायोजन/भुगतान मोलासीस की सम्पूर्ण मात्रा का उठाव के पश्चात् ही ई.एम.डी. की राशि वापस/समायोजित की जावेगी।
30. निविदा फार्म सबमिट करने के समय निविदाकार के द्वारा निविदा में क्रय करने की मात्रा के साथ ही साथ 10 प्रतिशत (10%) ई.एम.डी. की राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि कम पाए जाने पर निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
31. निविदाकार/क्रेता के द्वारा मोलासीस ई-निविदा तथा विक्रय आदेश में दिए गए शर्तों एवं नियम के तहत मोलासीस की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय-सीमा में नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त फर्मों/निविदाकार/क्रेता को ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक की होगी।
32. इस फार्म की 1 से 32 तक की नियम व शर्तें पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

**निविदाकार का हस्ताक्षर**

## चार- प्रबंध संचालक का अधिकार -

प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष मोलासीस की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।
5. निविदाकार/क्रेता के द्वारा मोलासीस ई-निविदा तथा विक्रय आदेश में दिए गए शर्तों एवं नियम के तहत मोलासीस की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय-सीमा में नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त फर्मों/निविदाकार/क्रेता को ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक की होगी।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शककर कारखाना द्वारा मोलासीस विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा मोलासीस क्रय हेतु निविदा दर लिफाफा-तीन व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक .....

निविदाकार का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....  
फर्म का मुहर .....



नर्स'ojh eध्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद  
ftyk&ckykn ¼N-x-½

ई-निविदा क्रं./162767/दिनांक 15/01/2025

1 – व्यावसायिक भाग (लिफाफा-तीन में रखें)

प्रति,

प्रबध संचालक ,  
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना  
मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.)

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद, जिला- बालोद (छ.ग.) द्वारा मोलासीस विक्रय हेतु जारी निविदा क्रमांक **162767** में उल्लेखित विवरण के आधार पर मोलासीस क्रय हेतु मेरे द्वारा तकनीकी भाग (लिफाफा-दो) में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है और अब इस पत्रक के माध्यम से नीचे उल्लेखित अनुसार मात्रा उनके सामने अंकित दर पर क्रय करने के लिये निविदा प्रस्तुत किया जा रहा है।

एक-विक्रय सामग्री का विवरण –

क्रमांक	उत्पादन वर्ष	विक्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा लगभग है जो कम/ज्यादा हो सकती है
01	2024-25	लगभग 1000 मे.टन

2 – जमा की गई अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण –

- आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. राशि – .....क्रमांक .....  
दिनांक- .....
- जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता – .....

3 – क्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा एवं दर –

क्रमांक	उत्पादन वर्ष	क्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा ( मे.टन मे)	दर प्रति मे.टन समस्त टेक्स रहित
01	2024–25		

4 – व्यवसायी/फर्म का विवरण –

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता – .....
2. मालिक/संचालक का नाम – .....
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर – .....
4. ई-मेल आईडी – .....
5. जी.एस.टी.नं. की छायाप्रति – .....
6. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित– .....

निविदाकार का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

5 – प्रतिनिधि का विवरण –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता – .....

निविदाकार का प्रतिनिधि का हस्ताक्षर  
एवं मुहर